समाहरणालय, मधेपुरा

(शास्त्र शाखा)

-:आदेश:-

अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 2399, दिनांक 17.06.2015 के आलोक में आगामी बिहार विधान सभा आम चुनाव- 2015 में विधि-व्यवस्था बनाये रखने /शांतिपूर्ण वातावरण में मतदान सुनिश्चित कराये जाने के उद्देश्य से शस्त्र नियमावली 1962 के नियम 63 एवं अनुज्ञप्ति की शर्त्त 9 के तहत् जिला के एवं जिले में रह रहे अन्य जिले के सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्रों /आग्नेयास्त्रों, शस्त्र दुकाने एवं अनुज्ञप्तियों तथा शस्त्र, गोली (कारतूस) का दिनांक 24.07.2015 से 27.07.2015 तक भौतिक सत्यापन कराये जाने का निदेश दिया गया था। वैसे शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी जिन्होंने उक्त निर्धारित तिथियों को आपने शस्त्र एवं अनुज्ञप्ति पुस्त का भौतिक सत्यापन नहीं करा पाए है, को निदेश दिया जाता है कि वे अपने-अपने शस्त्र का भौतिक रूप से सत्यापन संबंधित थानों में दिनांक 07.09.2013 से 13.09.2015 तक को उपस्थित होकर सत्यापन करवाना सुनिश्चित करेंगे।

सभी अनुमण्डल पदाधिकारी/अंचल अधिकारी को आदेश दिया जाता है कि वे अपने-अपने अनुमण्डल / अंचल अन्तर्गत पड़ने वाले थानों के शस्त्र दुकाने, अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्र एवं कारतूसों को थानावार, तिथिवार शत-प्रतिशत भौतिक सत्यापन दिनांक 07.09.2013 से 13.09.2015 तक सुनिश्चित करायेंगे। थानाध्यक्ष निर्धारित तिथि तक भौतिक सत्यापन कराने हेतु सभी अनुज्ञप्तिधारियों को अपने स्तर से सूचित करेंगे। इस हेतु वे व्यापक प्रचार-प्रसार करवाना भी सुनिश्चित करेंगे तथा इस बात का उल्लेख करेंगे कि निर्धारित तिथि एवं समय पर सत्यापन नहीं करवाने वाले अनुज्ञप्तिधारियों के विरूद्ध शस्त्र नियमावली के सुसंगत धाराओं के तहत् अनुज्ञप्ति निलंबित /रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।

शस्त्रों का भौतिक सत्यापन उनके द्वारा निर्धारित तिथि को 10:00 बजे पूर्वाह्न से 05:00 बजे अपराह्न तक की जाएगी एवं उसी दिन संध्या तक विशेष दूत/फैक्स के माध्यम से सत्यापन प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी/उप निर्वाचन पदाधिकारी, मधेपुरा को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाए।

सो/-
जिला दण्डाधिकारी
-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी,
मधेपुरा

ज्ञापांक 1186 /श0, मधेपुरा, दिनांक 2.9.15

प्रतिलिपिः पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा / अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा/उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः सभी उप निर्वाचन पदाधिकारी, मधेपुरा /अंचल अधिकारी /सभी थानाध्यक्ष /सभी ओ0पी0अध्यक्ष मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। सभी अंचल अधिकारी /सभी थानाध्यक्ष /सभी ओ0पी0अध्यक्ष शस्त्र /अनुज्ञप्ति एवं गोली (कारतूस) के सत्यापन की सूचना प्रखण्ड /अंचल अवस्थित सभी कार्यालयों भवनों /बस स्टेंड/रेलवे स्टेशनों के सूचना पट्ट पर निश्चित रूप से चिपकायेंगे।

प्रतिलिपि : जिला सूचना अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि इस आदेश को मधेपुरा जिला के वेवसाईट पर सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाए।

प्रतिलिपि : जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि बिहार के सभी मुख्य समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि : अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 2399, दिनांक 17.06.2015 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

जिला दण्डाधिकारी
-सह-